प्राक्कथन

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय-समय पर संशोधित, की धारा 19ए के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. यह प्रतिवेदन राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (रा सा क्षे उ) के वित्तीय प्रदर्शन के सारांश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका, सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के वित्तीय लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों और कॉर्पोरेट गवर्नेन्स से संबंधित है।

3. इस प्रतिवेदन में की गई समीक्षा, रा सा क्षे उ के अक्टूबर 2022 से सितम्बर 2023 तक प्राप्त वार्षिक लेखाओं को आच्छादित करती हैं। जिन रा सा क्षे उ के वर्ष 2022-23 के लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उनके नवीनतम प्राप्त अंतिमीकृत लेखाओं के आँकड़े लिए गए हैं।

4. इस प्रतिवेदन में "उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड में बिलिंग दक्षता एवं राजस्व वसूली" पर अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम भी सम्मिलित हैं। इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2023-24 में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए। जहाँ भी आवश्यक समझा गया, वर्ष 2023-24 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टातों को भी सम्मिलित किया गया है।

5. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।